3.5.19 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षों ने पूर्व में दिनांक 30.5.19 को प्रार्थना पत्र 212 R.T.A. पर बहस की। बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी को यदि अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं मिली तो अपूरणीय क्षति होगी।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. के तहत मूल वाद पत्र के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा